पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति एवं ग्रामीण विकास में योगदान का समीक्षात्मक अध्ययन

आशुतोष कुमार

शासन ने पंचायतों में आरक्षण के कारण महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित कर दी है महिला पंच, सरपंच एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को पुरूष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए खड़ा कर दिया है। इस भूमिका को निभाने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया जा सका है। यह कहा जा सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नही वल्कि देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संविधान में वर्णित समानता, न्याय, की बात पूरी होगी और महिलाएँ सभी क्षेत्रों में सहभागिता निभा पायेगी। नीति निमार्ण से लेकर उसके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सहभागिता कर सकेगी जो एक सशक्त समाज व देश के निमार्ण में सहयोगी होगा।